

उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व नदिशालय की 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना' के दूसरे चरण में दस धरोहरों का चयन

चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश पुरातत्त्व नदिशालय की नदिशक रेनू द्विविदी ने बताया कि राज्य में 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना' के दूसरे चरण में 10 धरोहरों का चयन किया गया है।

प्रमुख बंदि

- रेनू द्विविदी ने बताया कि 'एडाप्ट ए हेरिटेज योजना' के दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन समेत पोतराकुंड (मथुरा), कल्पा देवी एवं आसूतकि बाबा मंदिर (सीतापुर), देवगढ़ की बौद्ध गुफाएँ (ललतिपुर), राज मंदिर गुप्तार घाट (अयोध्या), लक्ष्मी मंदिर (झाँसी), टहरौली कला (झाँसी), बालाबेहट कला (ललतिपुर), दगिरा गढ़ी (झाँसी) तथा शवि मंदिर (टकैतराय बटौर कानपुर) को शामिल किया गया है।
- उन्होंने बताया कि स्मारक मतिर के साथ पाँच साल का मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया जाएगा, जिसके तहत गोद लिये गए धरोहर पर काम कराना होगा। धरोहर को सहेजने के साथ ही वहाँ पर अस्थायी नरिमाण व अन्य माध्यमों से स्मारक मतिर आमदनी भी कर सकेंगे।
- राज्य सहायक पुरातत्त्व अधिकारी डॉ. राजीव त्रविदी ने बताया कि स्मारक मतिर द्वारा स्मारकों पर कराए जाने वाले काम तय किये गए हैं। स्थल पर संकेतक, पेयजल, बजिली, सीवरेज, जन सुवधिएँ, वाई-फाई, बेंच, कूड़ादान, प्रकाश, पहुँच मार्ग एवं पाथवे, कैफेटेरिया, दवियांग के लिये रैप एवं वहीलचेयर की व्यवस्था आदिकाम कराने होंगे।
- गोद लिये गए धरोहर पर स्मारक मतिरों द्वारा कराए जाने वाले कामों की नगिरानी के लिये स्मारक समिति भी गठति की गई है, जो समय-समय पर नरिीक्षण करेगी।
- स्मारक मतिर गोद लिये गए धरोहर पर अनुरक्षण एवं पररिक्षण नहीं कर सकेंगे। यह काम पुरातात्त्वकि मानकों के अनुरूप वभिग द्वारा ही कराराया जाएगा। स्मारक मतिर अस्थायी नरिमाण तो करा सकेंगे पर स्मारक पर कसिी तरह का कोई प्रवेश शुलक नहीं लगा सकते।
- रेनू द्विविदी ने बताया कि राज्य पुरातत्त्व नदिशालय, पर्यटन वभिग और अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से स्मारकों एवं पुरास्थलों पर उच्च स्तरीय पर्यटन सुवधिएँ उपलब्ध कराने के लिये धरोहरों को गोद लेने की योजना शुरू की गई थी। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 11 स्मारकों एवं पुरास्थलों को गोद लेने के लिये चुना गया था।